



ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 66

सहयोग शुल्क : रु. 1 / जून : 2022

दिव्यांग सैतु

संपादक :- संत श्री ॐऋषि प्रितेशभाई



• आज हिन्दुस्तान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं... •
- संत श्री ॐऋषि प्रितेशभाई

• भारत में दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने में हम सफल हो रहे हैं... •
- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी



निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटी से असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रू.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रू. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज

सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाणपत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरूरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)



संपादकीय

**“बार-बार रोना तु बंध कर प्यारे, बार-बार आएगी ना झूमती बहारे ।
खुशियाँ मना जो भी पास है तेरे, लौट के न आएँगे, दिन ये सुनहरे ।”**

भारत में 2014 में दिव्यांगजनों के जीवन में एक नया सवेरा हुआ है । भारत में बरसों से दिव्यांगजनों की अवहेलना हो रही थी । भारत में 2014 से पहले किसी भी सरकार ने दिव्यांगजनों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, लेकिन 2014 दिव्यांगजनों के जीवन में क्रांति का एक नया सवेरा लेकर आया और नया सवेरा लानेवाले इन्सान थे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्रभाई दामोदरदास मोदी । माननीय वडाप्रधानश्री ने अपने सबसे पहले प्रमुख कार्यों में एक काम दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने का काम यानि की एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और उस अभियान से भारत के सब राज्यों में और दिव्यांगजनों के जीवन में आगे आने का अवसर उनको मिला ।

माननीय वडाप्रधान श्री यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने 2016 में दिसम्बर महिने में 21 प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए संसद में लॉ बनाकर पारित करवाया । उन्होंने दिव्यांगजनों की उपेक्षा देख विकलांग और अपंग जैसे शब्दों को उनके जीवन से हटाकर ‘दिव्यांगजन’ मानवाचक शब्द दिया ।

भारत में दिव्यांगों के लिए जो संस्थाएँ कार्य कर रही थी, उन सभी संस्थाओं को दिव्यांगजनों के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री ने प्रोत्साहित किया ।

माननीय मोदीजी ने जो कार्य दिव्यांगजनों के लिए किये हैं उन सब कार्यों के लिए उनकी जीतनी भी सराहना की जाए वह बहुत ही कम है ।

ईश्वर उनको दीर्घायु दे, ताकि वे इसी तरह देश की सेवा करते रहे ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी का नाम भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, उनमें कोई दो राय नहीं है ।

आइए आप भी हमारे साथ दिव्यांगजनों इस सेवाकार्य में हमारा साथ दे ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

जून - 2022, पृष्ठ संख्या - 16

वर्ष - 6 अंक - 66

✦ प्रेरणास्त्रोत एवं संपादक ✦

संत श्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लॉट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200



हेलेन केलर बधिर-अंध जागरूकता सप्ताह - 27 जून से 3 जुलाई

हेलन केलर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 27 जून को हर साल जून के अंतिम सप्ताह में बधिर-अंध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें कार्यस्थल पर फलने-फूलने में मदद करने के लिए हेलेन केलर बधिर-अंध जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।

जो लोग बधिर और अंधे होते हैं उन्हें जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें करियर-वार अच्छा करने और दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करने के लिए एक साथ आएँ। इस दिन का नाम हेलेन केलर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि 1880 के दशक में हेलेन केलर जो बहरे-अंधे पैदा हुए थे, उन्होंने अपना भाग्य खुद बनाया। तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

उन्हे अपने बहरेपन, अंधेपन और यहां तक कि महिला होने के कारण कुछ मुद्दों का सामना

करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और बधिर-अंध आबादी की देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए ऐनी सुलिवन के साथ अपने प्रभावशाली काम से दुनिया में तहलका मचा दिया।

इतिहास

हेलेन केलर बधिर-अंध जागरूकता सप्ताह का इतिहास 1984 का है जब राष्ट्रपति रीगन ने जून के अंतिम सप्ताह को "हेलेन केलर बधिर-अंध जागरूकता सप्ताह" के रूप में घोषित किया था।

इस दिन का उद्देश्य बधिर-अंध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विकलांग लोगों के योगदान को उजागर करना था। तब से हर साल, हेलेन केलर नेशनल सेंटर फॉर डेफ-ब्लाइंड यूथ एंड एडल्ड्स (HKNC) बधिर-अंधे लोगों की उपलब्धियों और क्षमताओं की मान्यता में एक राष्ट्रीय वकालत अभियान के साथ सप्ताह मनाता है।






विषय और महत्व

हेलेन केलर बधिर-अंध जागरूकता सप्ताह जो एक सकारात्मक और उत्साहजनक संदेश देता है। एच.के.एन.सी. के अनुसार, इसका उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जो बहरे-अंधे चेहरे हैं और अन्य सभी बाधाओं के बीच "गलतफहमी उनमें से एक नहीं है।" वे आगे कहते हैं, "न केवल बहरे-अंधे लोग कार्यस्थल में कामयाब होते हैं, बल्कि वे अपने कार्यस्थलों को भी फलते-फूलते हैं। बधिर-अंधे लोगों वाली कंपनियां उत्पादकता में और कंपनी के मनोबल में वृद्धि का अनुभव करती हैं।"

बधिर-अंध क्या है ?

बधिर-अंध एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोगों के सुनने और देखने दोनों से समझौता होता है। यह द्रश्य और श्रवण हानि का एक संयोजन है जो संचार की बाधा पैदा करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। यह सूचना तक पहुंच और यहां तक कि छोटे दैनिक जीवन के काम को भी मुश्किल बना देता है। हालांकि, बधिर होने का मतलब पूर्ण बहरापन या पूर्ण अंधापन नहीं है। अधिकांश बधिरो के पास कुछ अवशिष्ट दृष्टि और/या सुनने की क्षमता होती है।



disability is a spectrum



नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHFD) द्वारा दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक ऋण / बिजनेस लोन

हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग / विकलांग होता है तो लोग उसे सहानभूति की नजरों से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोगों के नजरिये में बदलाव नज़र आ रहा है। इस बदलाव के पीछे दिव्यांग / विकलांग लोगों का आर्थिक रूप से समर्थ होना है।

अब केन्द्र सरकार और राज्यों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिससे दिव्यांग / विकलांग भी सम्मानित जीवन जी सकते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कई ऐसी सरकारी योजना शुरू हुई है जिसमें विकलांगों / दिव्यांगों को कारोबार करने के लिए बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है।

एक ऐसी ही योजना नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा चलाई जा रही है। नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा दिव्यांग / विकलांग लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन स्वीकृत किया जाता है।

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHFD) द्वारा स्वीकृत बिजनेस लोन का भुगतान लिस्टेड बैंक और एन.बी.एफ.सी. से होता है। सरल भाषा में कहें तो पहले NHFD द्वारा बिजनेस लोन स्वीकृत किया जाता है। फिर NHFD के यहां लिस्टेड बैंक और एनबीएफसी से बिजनेस लोन मिलता है। यहाँ तक की शारीरिक रूप से विकलांग के लिए सबसिडी भी उपलब्ध है।





नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHFD) क्या है?

यह एक केन्द्र सरकार का संगठन है। इस संगठन का मुख्य कार्य दिव्यांग/विकलांग लोगों की आर्थिक से रूप से मदद करके उन्हें सशक्त करना है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांग/विकलांग लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए 'नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' (NHFD) का गठन किया गया है। जिसके तहत विकलांग रोजगार लोन दिया जाता है।

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHFD) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी, 1997 को की गई थी। NHFD, कम्पनी अधिनियम, 1956, अनुच्छेद-25 के तहत पंजीकृत है तथा ये गैर लाभकारी संगठन (नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन) कम्पनी है।

यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतया स्वामित्व वाली कम्पनी है और इसकी प्राधिकृत अंश पूंजी 400 करोड़ रुपये (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) है। कम्पनी निदेशकों के बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती है जो भारत सरकार द्वारा नामांकित किये जाते हैं।

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHFD) का उद्देश्य क्या है?

NHFD का उद्देश्य दिव्यांग/विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। दिव्यांग/विकलांग व्यक्तियों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए अन्य उपक्रमों एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। उन विकलांग व्यक्तियों को लोन प्रदान करना जो बिजनेस करने के लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं।

मैनुफैक्चरिंग यूनिट (उत्पादन इकाई) के पर्याप्त एवं दक्ष प्रबंधन के लिए विकलांग व्यक्तियों के तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल के उन्नयन में सहायता प्रदान करना। तैयार माल की बिक्री के लिए विकलांग व्यक्तियों की मदद करना। बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस लोन देना ही नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHFD) का उद्देश्य है।

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से किस बिजनेस के लिए लोन मिलता है?

NHFD द्वारा जिन कारोबार के लिए बिजनेस लोन मिलता है, वह कारोबार निम्न हैं:

- कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए
- सर्विस / ट्रेडिंग का बिजनेस करने के लिए लोन





- कृषि गतिविधियाँ चलाने के लिए लोन
- छोटी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए लोन
- मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए लोन
- दिव्यांग / विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा / प्रशिक्षण के लिए लोन
- दिव्यांग में कौन कौन आता है ?

दिव्यांग व्यक्तियों में, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाकबाधित, अस्थि दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।

NHFDC के तहत इन बैंकों से लोन मिलता है

- नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक
- ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC)

NHFDC के तहत मिलने वाले बिजनेस लोन पर ब्याज दर इतना होता है

बिजनेस लोन की रकम	ब्याज दर का रेट
50 हजार रुपये से कम लोन	5 प्रतिशत ब्याज दर
50 हजार से 5 लाख रुपये तक का लोन	6 प्रतिशत ब्याज दर
5 लाख से 15 लाख रुपये तक का लोन	7 प्रतिशत ब्याज दर
15 लाख से 25 लाख रुपये लोन	8 प्रतिशत ब्याज दर

यहां बताई गई ब्याज दरें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है। ब्याज दर तय करने का अधिकार भारतीय रिजर्व



Loan



for Handicapped

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना



बैंक (RBI) और बैंकों का है। ब्याज दरें समय – समय पर बदलती रहती है। लोन के लिए आवेदन करते समय बैंक से ब्याज दर के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें।

महिलाओं के लिए ब्याज दरें कम होती है

जब नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन से लोन के लिए कोई महिला दिव्यांग / विकलांग आवेदन करती हैं तो ब्याज दर पुरुषों की अपेक्षा कम लागू किया जाता है। महिलाओं के लिए बिजनेस लोन पर ब्याज दर में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है।

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन से लोन के लिए शर्तें क्या हैं?

- आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक हो।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए।
- भारत सरकार के मानक अनुसार न्यूनतम 40% दिव्यांगता/विकलांगता होनी चाहिए।
- कम से कम 10वीं क्लास पास होना चाहिए।
- जिस बिजनेस के लिए लोन की मांग की जा रही हो, वह बिजनेस CGS के अप्रूव्ड होना चाहिए।

ZipLoan से मिलता है बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन

ZipLoan कंपनी फिनटेक सेक्टर की प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC प्रमुख है जिससे कारोबारियों को 7.5 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन सिर्फ 3 दिन* में बिना कुछ गिरवी रखे मिलता है।

बिजनेस लोन का उपयोग कारोबारी अपने बिजनेस में जरूरी उपकरण खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए, नई जगह रेंट पर लेने के लिए या अन्य किसी जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

कारोबारी चाहें तो बिजनेस लोन से पिछले बिजनेस के नाम पर दूसरी जगह पर कोई और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नये वर्करो को काम पर रख सकते हैं।

कारोबारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ZipLoan द्वारा बेहद न्यूनतम शर्तों पर 5 लाख तक बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है। बिजनेस लोन की न्यूनतम शर्तें निम्न हैं:

बिजनेस लोन के लिए शर्तें

- बिजनेस 2 साल से अधिक पुराना हो।
- बिजनेस का सालाना टर्नओवर 10 लाख से अधिक हो।
- बिजनेस के लिए सालाना डेढ़ लाख से अधिक की आईटीआर फाइल होती हो।
- बिजनेस की जगह या घर की जगह में से कोई एक खुद के नाम पर हो। (यह माता – पिता, भाई – बहन, पति – पत्नी, पुत्र – पुत्री के नाम पर हो तो भी मान्य किया जाता है।)

जो कारोबारी इन आसान शर्तों को पूरा करते हैं वे बहुत कम कागजी दस्तावेजों पर ZipLoan से 7.5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन प्राप्त कर सकते हैं।





ZipLoan से बिजनेस लोन के लिए जरूरी कागजत

- क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- 9 महीने का बैंक स्टेटमेंट
- फाइल की गई आईटीआर की कॉपी
- घर या बिजनेस की जगह में से किसी एक का मालिकाना हक का प्रूफ। (यह माता – पिता, भाई – बहन, पति – पत्नी, पुत्र – पुत्री इत्यादि में से किसी के नाम पर हो तो भी मान्य किया जाता है।)

ZipLoan से बिजनेस लोन लेने के फायदें

- **प्री पेमेंट चार्जस फ्री** : अधिकतर बैंक और लोन देने वाली कंपनी लोन तय समय से पहले क्लोज करने पर चार्ज लगाती हैं वहीं ZipLoan का बिजनेस लोन 6 महीने बाद प्री पेमेंट चार्जस फ्री है।

- **सिर्फ 3 दिन* में बिजनेस लोन** : अगर आपको भूख आज लगे और खाना दो दिन बाद मिले तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह जहां बैंक और दूसरी कम्पनियां लोन देने में लंबा समय लगाती हैं वही ZipLoan से सिर्फ 3 दिन* में बिजनेस लोन मिल जाता है।
- **टॉप-अप लोन की सुविधा उपलब्ध है** : ZipLoan कंपनी द्वारा टॉप-अप लोन की सुविधा भी दी जाती है। टॉप-अप के तौर पर 2.5 लाख तक लोन और अधिक मिल जाता है। यहां यह बताना जरूरी है कि टॉप-अप लोन उन्हीं को मिलता है जिनकी 9 मंथली ईएमआई ठीक तरह से कटी होती है।

NHFDC Recruitment





गायत्री विकलांग मानव मण्डल द्वारा बिना माता-पिता के गरीब एवं बेसहारा बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए नोटबुक आदि वितरण

13 मई, 2022 को श्रीमती मीनाबेन हरीश कुमार त्रिवेदी के सहयोग से गायत्री विकलांग मानव मण्डल के प्रांगण में शाम 5 बजे बिना माता-पिता के गरीब एवं बेसहारा बच्चों को नोटबुक, पुस्तकें, पेंसिल आदि वितरित किये गये। साथ ही बच्चों को भोजन, प्रसादी, दाल, चावल, मिठाई, फरसान आदि दिए गए। सभी छोटी व विधवा बहनों को साड़ी बांटी गई। संस्था की स्थापक रुकमणीबहन ने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य कोरोना काल के दौरान अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए नोटबुक आदि वितरित करना था।





नारणपुरा के वरिष्ठ नागरिक शाह दुष्यंतभाई और परीख कनुभाई गायत्री परिवार ने स्मित चाइल्ड एज्युकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के मानसिक दिव्यांग बच्चों को एयर कूलर का उपहार दिया

नारणपुरा के वरिष्ठ नागरिक शाह दुष्यंतभाई और परीख कनुभाई गायत्री परिवार की ओर से भीषण गर्मी में मानवीय राहत प्रदान करने की शुभ मंशा से अखबार नगर सर्कल, नवा वाडज स्थित स्मित चाइल्ड एज्युकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के मानसिक दिव्यांग बच्चों को एयर कूलर का उपहार दिया। यह देखकर मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे बहुत खुश हुए और संस्थान के निर्देशक श्री चंदुभाई चौहान ने उनका आभार व्यक्त किया।





हौसले को सलाम... दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग निशांत का कलेक्टर बनने का सपना... पैरों से लिख रहा है अपनी किस्मत...

शैलेन्द्र सिंह बघेल/बलरामपुर :

प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, कोई भी बाधा प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे है बलरामपुर जिले के चौथी कक्षा में पढ़ने वाले निशांत पैकरा जो जन्म से ही दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग है। अपने पैरों से लिखने वाले निशांत पढ़ाई करके कलेक्टर बनना चाहते है। निशांत के हौसले की जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार भी तारीफ कर रहे हैं और निशांत की आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं।

दरअसल बलरामपुर विकासखण्ड के डूमरखी प्राथमिक शाला में पढ़ाई कर रहे दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग निशांत बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहते हैं। अपने पैरों से लिखने वाले निशांत स्कूल में अपने अन्य दोस्तों के साथ खेलकूद में भी बराबर हिस्सा लेते है, और यही वजह है कि उनके हौसले को देखकर उनकी तारीफ हर कोई कर रहा है।

मां के साथ काम भी करता है :

निशांत की उम्र अभी 9 वर्ष की है और उनके दो और भाई हैं। निशांत के पिता शिक्षक है तो उनकी माता पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत है। निशांत की मां का कहना है कि उनका बेटा जन्म से ही दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग है लेकिन वह सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में बराबर हिस्सा लेता है। इसके अलावा निशांत घरेलू काम में भी अपनी मां का हाथ बंटता है। निशांत की मां का सपना है कि उनके बेटे को किसी अच्छे दिव्यांग स्कूल में भर्ती कराया जाए ताकि उसका भविष्य अच्छा बन सके।

स्कूल में सामान्य बच्चों की तरह रहता :

निशांत को स्कूल में शिक्षा दे रहे उनके शिक्षक ने बताया कि निशांत के दोनों हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी वह सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करता है। उसकी रुचि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी रहती है। दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी निशांत अपने पैरों से लिखता है और किताब के पन्नों को भी पलटता है। स्कूल में निशांत की मदद उसके क्लास के अन्य छात्र भी करते हैं।

कलेक्टर करेंगे मदद :

शासकीय प्राथमिक शाला डूमरखी में दौरे पर पहुंचे जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने निशांत को स्कूल आने जाने के लिए ट्रायसाइकिल की व्यवस्था की है और इसके अलावा बैटरी से चलने वाली ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराने का आदेश भी दे दिए है, जो जल्द ही निशांत को मिल जाएगी। पढ़ाई के प्रति निशांत की लगन और बड़ा होकर कलेक्टर बनने की बात सुनकर खुद कलेक्टर कुंदन कुमार भी प्रभावित हुए और निशांत को आगे किसी अच्छे दिव्यांग स्कूल में भर्ती कराए जाने का आश्वासन भी दिए है।





दिव्यांग होने के बावजूद भी कलावती ने मजदूरी कर पैसा कमाकर पढ़ाई की, अब 28 की उम्र में पंचायत को बनाया साक्षर

झारखंड के गुमला सदर प्रखंड के सिलाफारी ठाकुरटोली गांव की कलावती कुमारी (28 वर्ष) दोनों पैर से विकलांग है। वह बैसाखी के सहारे चलती है। लेकिन कलावती के मजबूत हौसले बुलंद हैं। आज से 10 वर्ष पहले तक कलावती अनपढ़ थी। गरीबी के कारण परिवार के साथ जाकर बाहर मजदूरी करती थी। लेकिन, बुलंद इरादों के बूते उन्होंने मजदूरी कर पैसे कमाये और उसी पैसे से पढ़ाई की। साथ ही साक्षर भारत अभियान से जुड़कर प्रेरक बनी। सबसे पहले अपने अनपढ़ माता पिता को साक्षर किया। फिर गांव के 40 अनपढ़ लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाया।

आज गांव की कई महिलाएं कलावती के कारण पढ़-लिख पाई हैं। महिला समूह से जुड़कर काम कर रही हैं। कलावती कहती हैं कि मैं खुद अनपढ़ थी। माता-पिता ईंट भट्टा में काम करने सुल्तानपुर जाते थे। मैं भी अपने माता-पिता के साथ मजदूरी करने जाती थी, लेकिन दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख मुझे भी पढ़ने की इच्छा हुई। लेकिन, मेरी विकलांगता बाधा बन रही थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं मजदूरी के पैसे जमा कर पढ़ाई शुरू की।



फिर साक्षरता अभियान से जुड़ी। पहले अपने अनपढ़ माता पिता को पढ़ाया। इसके बाद गांव के 40 लोगों को साक्षर बनाया।

कलावती ने गांव के कई लोगों को साक्षर बनाया :

कलावती बताती हैं कि सदर प्रखंड के सिलाफारी लांजी पंचायत है। इस पंचायत में ठाकुरटोली बस्ती है। एक समय था। जब यहां के लोग अनपढ़ थे। बच्चों को बहुत कम स्कूल भेजते थे, लेकिन साक्षरता अभियान का असर यहां दिखा। इस गांव के 40 से अधिक लोग आज पढ़ना-लिखना सीख गये हैं। इतना ही नहीं, अब सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहां पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार का लाज-शर्म नहीं है। कई उम्रदराज लोग भी पढ़े। हालांकि, कुछ गिने-चुने लोग यह कहकर नहीं पढ़े कि अब पढ़कर क्या करना है? लेकिन, जिनमें सिखने का जज्बा था, उन लोगों ने पढ़ाई की।

गांव के लोग कलावती की तारीफ करते हैं :

गांव की साक्षर महिला शिवानी कुमारी ने कहा कि मेरी उम्र 27 साल है। जब मैं शादी करके सिलाफारी ठाकुरटोली गांव आयी, तो मैं अनपढ़ थी लेकिन मन में पढ़ाई का जज्बा था। शादी के बाद इस उम्र में कैसे पढ़े? यह बात मन में उथल-पुथल कर रही थी। अंत में हमारी गांव की कलावती जो उम्रदराज लोगों को पढ़ा रही थी। मैं भी उसके पास पढ़ने के लिए जाने लगी। जिसका नतीजा है, आज मैं पढ़ने के अलावा लिख भी लेती हूँ। पहले अंगूठा लगाती थी, अब हस्ताक्षर करती हूँ। इस तरह से विकलांग-दिव्यांग कलावती पूरे समाज में एक उदाहरण बन कर सामने आई है जो कि हार नहीं मानी और अपने पंचायत के लोगों को साक्षर बना दिया।



अँकार फाउन्डेशन ट्रस्ट (N.G.O.)

संचालित

अँकार दिव्यांग ट्रेनिंग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए निःशुल्क तालीमी संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल 5, हाउस नं.: 48/डी, बिजनेस पार्क,

चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,

अहमदाबाद-380 016

मो. : 99749 55125, 99749 55365

